भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2671

दिनांक 15.12.2015/24 अग्रहायण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

महिला पुलिस कार्मिक

2671. **श्री राजन विचारे** :
श्रीमती कोथापल्ली गीता :
श्री पी० आर० सुन्दरम :
श्री दुष्यंत चौटाला :
श्रीमती के० मरगथम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित की गई राष्ट्रमंडल मानवाधिकार प्रयास (सी० एच० आर० आई०) रिपोर्ट में केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर भारत में पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होने की बात कही गई है;
(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस बलों की कुल संख्या की तुलना में महिला पुलिस बलों की सी० ए० पी० एफ०-वार और राज्य-वार संख्या क्या है;
(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पुलिस बल में 30 प्रतिशत अथवा अधिक का कोटा निर्धारित करने के नियम बनाए हैं;
(घ) क्या सरकार का पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) महिला कार्मिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख) : **जहां तक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) अर्थात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम राइफल्स(एआर) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का संबंध है, दिनांक** 31.10.2015 **की स्थिति के अनुसार इनका ब्यौरा निम्नानुसार है**:-

.....2/-

बल	कुल संख्या	महिलाओं की संख्या	प्रतिशतता
सीआईएसएफ	127130	6346	4.99
आईटीबीपी	81663	1666	2.04
सीआरपीएफ	308862	6231	2.01
एसएसबी	78402	1193	1.52
बीएसएफ	248799	4144	1.66
एआर	65788	595	0.90
कुल	910644	20175	2.21

इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, दिनांक 01.01.2014 **की स्थिति के अनुसार, महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या और कुल संख्या की तुलना में उसकी प्रतिशतता को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।**

(ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय है और राज्य पुलिस बलों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि कितने राज्यों ने पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 30 **प्रतिशत या उससे अधिक का कोटा निर्धारित करने के बारे में नियम पारित किए हैं। तथापि, कुछ राज्यों ने इस संबंध में लिए गए निर्णय से अवगत कराया है-**

(i) मध्य प्रदेश- राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उप पुलिस अधीक्षक और उप-निरीक्षक के पदों पर 30 **प्रतिशत तथा कांस्टेबल के पदों पर** 10 **प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।**

(ii) गुजरात-गुजरात सरकार ने पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33 **प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।**

(iii) ओडिशा-कांस्टेबल और उप निरीक्षक के रैंक में पुलिस कार्मिकों की सभी भर्तियों में 33 **प्रतिशत आरक्षण आरंभ किया गया है।**

(घ) और (ड.) : अपनी छठी रिपोर्ट में महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसरण में, बल में महिलाओं की प्रतिशतता 5% **करने के लिए सभी सीएपीएफ को निर्देश जारी किए गए थे।**

भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस सहित सभी संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों में कांस्टेबल से उप-निरीक्षक के अराजपत्रित पदों में सीधी भर्ती में प्रत्येक श्रेणी में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य) और समस्तरीय रूप से महिलाओं के लिए 33% **का आरक्षण भी अनुमोदित किया है।**

(च) : गृह मंत्रालय द्वारा अनुलग्नक-II के अनुसार सीएपीएफ में महिलाओं के हित के लिए पहलें की गई हैं।

अनुलग्नक-I के पृष्ठ 1 का 1

लोक सभा अता० प्र० सं० 2671

दिनांक 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार महिला पुलिस कार्मिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक संख्या और कुल नफरी की तुलना में उनकी प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक संख्या (सिविल + सशस्त्र पुलिस)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या	कुल पुलिस की तुलना में महिला पुलिस की प्रतिशतता
		01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आंध्र प्रदेश	106635	4622	4.33
2	अरूणाचल प्रदेश	11247	582	5.17
3	असम	55033	510	0.93
4	बिहार	68819	2341	3.40
5	छतीसगढ़	54693	2348	4.29
6	गोवा	5924	366	6.18
7	गुजरात	74023	2691	3.64
8	हरियाणा	41112	2734	6.65
9	हिमाचल प्रदेश	14024	1552	11.07
10	जम्मू एवं कश्मीर	72196	2252	3.12
11	झारखंड	56439	2906	5.15
12	कर्नाटक	72011	3682	5.11
13	केरल	47782	3067	6.42
14	मध्य प्रदेश	86946	4190	4.82
15	महाराष्ट्र	171359	17957	10.48
16	मणिपुर	24832	2040	8.22
17	मेघालय	11453	329	2.87
18	मिजोरम	9895	568	5.74
19	नागालैंड	24030	253	1.05
20	ओडिशा	51396	4381	8.52
21	पंजाब	73872	4761	6.44
22	राजस्थान	92330	6568	7.11
23	सिक्किम	4281	333	7.78
24	तमिलनाडु	111448	13842	12.42
25	त्रिपुरा	23619	777	3.29
26	उत्तर प्रदेश	168851	7238	4.29
27	उत्तराखंड	18187	1528	8.40
28	पश्चिम बंगाल	79476	3791	4.77
29	अ.नि. द्वीप समूह	3947	445	11.27
30	चंडीगढ़	7181	1017	14.16
31	दादरा एवं नगर हवेली	261	26	9.96
32	दमण एवं दीव	373	34	9.12
33	दिल्ली	75704	5413	7.15
34	लक्षद्वीप	264	16	6.06
35	पुडुचेरी	3143	165	5.25
	अखिल भारत	1722786	105325	6.11

****

अनुलग्नक-।। के पृष्ठ 1 का 1
लोक सभा अता० प्र० सं० 2671

दिनांक 15.12.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2671 के भाग (च) के संबंध में सूचना।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिलाओं के हित के लिए गृह मंत्रालय में शुरु की गईं पहलें :-

1. **सीआईएसएफ ने योजनागत स्कीम के तहत निधियों का उपयोग करके विशेष रूप से महिलाओं के हित के लिए रिजर्व बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थाओं जैसी अपनी सभी स्थापनाओं में परिवार कल्याण केन्द्र (एफडब्ल्यूसी) के निर्माण हेतु पहलें की हैं। ये परिवार कल्याण केन्द्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए सिलाई, हस्तकला और खाद्य सामग्रियां के उत्पादन जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार के आय अर्जन को बढ़ाने के लिए नए कौशल सीखने के लिए हैं।**
2. **सीआरपीएफ ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने संबंधी योजनाएं अर्थात महिला सुग्राहीकरण, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, तात्कालिक सेवा, पौषणिक देखभाल केन्द्र और महिला हॉस्टल/पारिवारिक आवास कार्यान्वित की हैं। अक्टॅबर, 2014 में, सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 में सामान्य ड्यूटी बटालियनों के स्थान पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलों (सीएपीएफ) में दो अतिरिक्त महिला बटालियनों का गठन करने का अनुमोदन दिया है।**
3. **महिलाओं के हित के लिए एसएसबी में योजनाएं अर्थात सीमा चौकियों (बीओपी) में तैनात महिला घटकों के लिए शौचालय, स्नानगृह, रसोई-सह-डाइनिंग हाल की सुविधा के साथ पृथक आवास, एसएसबी में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए बालवाडी की सुविधाएं, कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए पृथक शौचालय, अलग मनोरंजन सुविधाएं संचालन में हैं।**
4. **बीएसएफ द्वारा योजनाएं अर्थात साउथ बंगाल फ्रंटियर की 16 सीमा चौकियों पर शौचालयों, रसोई-सह-डाइनिंग हाल के साथ केवल महिला आवास, नॉर्थ बंगाल फ्रंटीयर की 14 सीमा चौकियों पर शौचालयों, रसोई-सह-डाइनिंग हाल के साथ केवल महिला आवास, एसटीसी बीएसएफ नॉर्थ बंगाल में शौचालयों के साथ महिला आवास और 25 बटालियन, छावला कैम्प, दिल्ली में 05 बैरकों और 9 शौचालयों तथा स्नानागारों के साथ महिला आवास पूर्ण की गई हैं।**
5. **आईटीबीपी की सभी कार्यरत महिलाओं को फ्रंटीयर मुख्यालय, सेक्टर मुख्यालय, यूनिटों (बटालियन मुख्यालय), रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्रों और लॉग एंड कम्यूनिकेशन (एल एंड सी) सेक्टर मुख्यालयों (एस एच क्यू) की विशेषज्ञ बटालियनों में शौचालयों, रसोईघर-सह-डाइनिंग हाल के साथ पृथक महिला बैरक आबंटित किए गए हैं। पुस्तकालय और कॉमन स्टाफ रूम में महिला अभिमुख सावधिक और जर्नल मंगाए जा रहे हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन उत्पीड़न के मामलों को सुलझाने के लिए एक समिति भी गठित की गई है।**
6. **सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी में विशेष रूप से महिलाओं के हित के लिए कोड शीर्ष-50 अन्य प्रभार (योजनेत्तर) के तहत मुख्य योजना अर्थात बाल आंगनवाड़ी सुविधाएं कार्य कर रही हैं।**

*****